¹[Rule 138A : Documents and devices to be carried by a person-incharge of a conveyance

- (1) The person in charge of a conveyance shall carry-
 - (a) the invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be; and
 - (b) a copy of the e-way bill in physical form or the e-way bill number in electronic form or mapped to a Radio Frequency Identification Device embedded on to the conveyance in such manner as may be notified by the Commissioner:

Provided that nothing contained in clause (b) of this sub-rule shall apply in case of movement of goods by rail or by air or vessel:

- ²[Provided further that in case of imported goods, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in Part A of FORM GST EWB-01.]
- ³[(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Reference (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.]
- (3) Where the registered person uploads the invoice under sub-rule (2), the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall be auto-populated by the common portal on the basis of the information furnished in **FORM GST INV-1**.
- (4) The Commissioner may, by notification, require a class of transporters to obtain a unique Radio Frequency Identification Device and get the said

Earlier this rules has been amended/inserted by:

¹ Rule 138A substituted by Noti. No. 12/2018–Central Tax, dt. 07-03-2018 except Rule 138(7) provisions have been made effective from 01-04-2018 by Noti. No. 15/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018.

^{1.} Noti. No. 27/2017-Central Tax, dt. 30-08-2017.

^{2.} Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018.

² Proviso inserted by Noti. No. 39/2018–Central Tax, dt. 04-09-2018 w.e.f. 04-09-2018.

³ Sub-rule (2) substituted by Noti. No. 72/2020–Central Tax, dt. 30-09-2020 w.e.f. 30-09-2020. (Corrected by corrigendum GSR 611(E), dt. 01-10-2020). Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(2) A registered person may obtain an Invoice Reference Number from the common portal by uploading, on the said portal, a tax invoice issued by him in FORM GST INV-1 and produce the same for verification by the proper officer in lieu of the tax invoice and such number shall be valid for a period of thirty days from the date of uploading."

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- device embedded on to the conveyance and map the e-way bill to the Radio Frequency Identification Device prior to the movement of goods.
- (5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), where circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, require the person-in-charge of the conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill
 - (a) tax invoice or bill of supply or bill of entry; or
 - **(b)** a delivery challan, where the goods are transported for reasons other than by way of supply.]

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 138क : किसी वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ रखे जाने वाले दस्तावेज और युक्तियां

- (1) किसी वाहन का प्रभारी व्यक्ति से-
 - (क) यथास्थिति, बीजक या पूर्ति बिल या परिदान चालान अपने साथ रखेगा;
 - (ख) भौतिक रूप में ई—वे बिल की प्रति या ई—वे बिल सं. इलेक्ट्रानिक रूप में या आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रीति में वाहन में सन्निहित रेडिायो फ्रीकवेंसी पहचान रीति के माध्यम से पहचान युक्ति से में प्रतिचित्रण की गई ई—वे बिल सं. रखेगा:

परन्तु इस उपनियम की खंड ख में उद्धृत कोई बात रेल, वायुयान और जलयान के द्वारा मालों की संचलन की दशा में लागू नहीं होगी।

²[परन्तु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी—01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा।]

- ³[(2) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई.आर.एन.) सिन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलैक्ट्रानिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।]
- (3) जहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएसटी इंडब्ल्यू बी—01 के भाग 'क' में सूचना प्ररूप जीएसटी आईएनबी—1 में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी।
- (4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहन पर युक्तियुक्त जुड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई—वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा।

अधिसूचना क्रमांक 12/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138, 138क से 138घ प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये है। पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

^{1.} अधिसूचना क्रमांक 27/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।

^{2.} अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018।

अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।

³ अधिसूचना क्रमांक 72/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 द्वारा उपनियम (2) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.09.2020)। शुद्धीपत्र सां.का.नि. 611(अ), दिनांक 01.10.2020 द्वारा सुधार किया गय। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था-

[&]quot;(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आईएनबी—1 में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।"

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा प्रवहन भारसाधक से ई—वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा—
 - (क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या बिल ऑफ एंट्री; या
 - (ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान।]